"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी 2003—पौष 13, शक 1924

भाग 3 (1)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग.

प्रारूप—चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये.]

क्रमांक 2084/प्र. 1/अ. वि. अ./2002.—चूंकि राजेन्द्र कुमार अग्रवाल न्यास, अग्रसेन एज्युकेशन ट्रस्ट वैशाली नगर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30-10-2002 को विचार के लिए आवेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसे सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, एस. आर. बांधे, पंजीयक, लोक न्यास दुर्ग, अपने न्यायालय में दिनांक 30-10-2002 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना का प्रकाशन के दिनांक से एक

माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना हो तो कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम :— अग्रसेन एज्युकेशन ट्रस्ट वैशाली नगर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग.

2. लोक न्यास की सम्पत्ति रुपये 31,000/- (इकतीस हजार रुपये) नगद मात्र.

प्रारूप—चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये.]

क्रमांक 2086/प्र. 1/अ. वि. अ./2002.—चूंकि श्री मंगलचंद जी ललवानी आ. स्वर्गीय लक्ष्मीलाल ललवानी, साकिन, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30-10-2002 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, एस. आर. बांधे, पंजीयक, लोक न्यास दुर्ग, अपने न्यायालय में दिनांक 30-10-2002 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम :— श्री शीतलनाथ जिनालय एवं जिनकुशल सुरी दादाबाड़ी ट्रस्ट, पावर हाऊस भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग.

2. लोक न्यास की संपत्ति 5000/- (पांच हजार रुपये) नगद.

प्रारूप—चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये.]

क्रमांक/2082/प्र. 1/अ. वि. अ./2002.—चूंकि सतीशचन्द्र ठाकुर आ. हलधर ठाकुर, निवासी पंचशील नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30-10-2002 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, एस. आर. बांधे, पंजीयक, लोक न्यास दुर्ग, अपने न्यायालय में दिनांक 31-10-2002 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम :— सुरेश गौशाला मोहलई एवं शिव मंदिर पोलसयपारा, दुर्ग.

2. लोक न्यास की संपत्ति :— 10,000/- (दस हजार रुपये)

एस. आर. बांघे,
पंजीयक.

प्रारूप—चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये.]

क्रमांक/1080/प्रा. 1/अ. वि. अ./2002.—मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का (नियम-5 (1) देखिए.) वालटर फेमली चेरीटेबल ट्रस्ट एस. एम. 61, पद्मनाभपुर, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29-7-2002 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखती हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, नितिन पंडित, पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 29-7-2002 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने या विचार रखने वाले व्यक्ति को सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम :— वालटर फेमली ट्रस्ट, पद्मनाभपुर, दुर्ग.
2. संपत्ति का वर्णन :— 5101/- (पांच हजार एक सौ एक रुपये) नगद.

प्रारूप—चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये.]

क्रमांक/1099/प्रा. 1/अ. वि. अ./2002.—चूंकि श्री सलीमुद्दीन कुरैशी आ. कमरूद्दीन कुरैशी निवासी गांधी चौक दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20-8-2002 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, नितिन पंडित, पंजीयक लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 20-8-2002 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने या विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम :— अहले सुन्नत मुस्लिम सांस्कृतिक ट्रस्ट सांस्कृतिक भवन चौक, केलाबाड़ी, दुर्ग (छ. ग.).
2. संपत्ति का वर्णन :— निरंक.

नितिन पंडित,
पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर (छ. ग.)

फार्म "चार"

(नियम 11 देखिये)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1962 के नियम (1) के अंतर्गत.]

क्रमांक क/वाचक-2/अ. वि. अ./2001/42.—लोक न्यासों के पंजीयक बिलासपुर जिला के समक्ष जैसा कि हाफिज जहांगिर पुत्र शेख अमान बानी, निवासी तालापारा, बिलासपुर तहसील बिलासपुर ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 7-6-2001 को विचार में लिया जावेगा, कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या संपत्ति में हित रखता है, और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें. अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	-	दारूल उलूम फैजरंजा मदरसा फैजरंजा, पता-तालापारा, बिलासपुर तहसील व जिला-बिलासपुर.
2.	चल संपत्ति	-	10000/- दस हजार रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिलासपुर में जमा.
3.	अचल संपत्ति	-	वार्ड क्र.-10, क्रांति कुमार भारतीय वार्ड तालापारा, बिलासपुर में ख. नं. 172/49 कुल रकबा 2062 वर्गफीट में पक्का भवन निर्माणाधीन है.

डी. आर. बण्डस्की,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, सरायपाली

क्रमांक/क/476/अ. वि. अ./वा.-1/2000.—चूंकि अध्यक्ष युगल किशोर प्रधान वल्द रसिक एवं अन्य 14 ग्रामवासी तोरेसिंहा, तहसील सरायपाली के द्वारा ग्राम तोरेसिंहा, तहसील सरायपाली में स्थित श्री महादेव जी मंदिर एवं जगन्नाथ महाप्रभु ट्रस्ट तोरेसिंहा को सार्वजनिक ट्रस्ट बनाये जाने हेतु निवेदन किया है.

अतएव सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई दिनांक 18-7-2000 को इस न्यायालय में होगी.

यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई हस्तक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित मंतव्य दो प्रतियों में प्रस्तुत करें और नियत सुनवाई के दिन को स्वतः अपने वकील अथवा एजेण्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अमृत खलको,
रजिस्ट्रार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज, सरगुजा (छ. ग.)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और म. प्र. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) देखिये.]

क्रमांक/1278/वाचक-1/2002.—यतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 क 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, नरेन्द्र दुग्गे, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रामानुजगंज जिला सरगुजा, लोक न्यास का पंजीयक मेरे न्यायालय में वर्ष 2002 के जुलाई मास के 06 तारीख पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले की जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास का सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी, या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष

उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

बसराज कुंवर लोक न्यास	ग्राम अलका ग्राम पंचायत अलका, तह. वाड्रफनगर जिला सरगुजा.	पूजा स्थल एवं परिसर भूमि.

नरेन्द्र दुग्गे,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

कार्यालय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं
राजनांदगांव (छ. ग.)

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/237.—बी. एन. सी. मिल्स कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., राजनांदगांव, पं. क्र. 34, दिनांक 3-1-75 को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1199, दिनांक 30-10-02 को जारी किया गया था. संस्था द्वारा वांछित समयावधि में उत्तर नहीं दिया जाकर अपने पत्र क्रमांक/दिनांक 7-11-02 से संस्था के 605 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र की प्रति चाही गई थी. जिसे दिनांक 7-11-2002 को संस्था अध्यक्ष को प्रदाय कर संस्था अध्यक्ष की सहमति से उत्तर प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11-11-2002 तक समय दिया गया. संस्था अध्यक्ष द्वारा निश्चित दिनांक 11-11-2002 को उत्तर प्राप्त हुआ. उक्त के तारतम्य में प्रकरण से संबंधित निम्नांकित का अवलोकन किया गया :—

(1) बी. एन. सी. मिल्स कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., राजनांदगांव, पं. क्र. 34 के 605 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र, अध्यक्ष श्री रामईश्वर सिंह अध्यक्ष, बी. एन. सी. मिल्स द्वारा समिति की विशेष आम सभा दिनांक 27-10-2002 के पारित प्रस्ताव की फोटो-कापी पृष्ठ-1 से 43 स्वतः के हस्ताक्षर सहित प्रेषित है तथा उपरोक्त के तारतम्य में प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./उपंरा/परि./1199, दिनांक 30-10-2002 का अवलोकन किया गया.

(2) उपरोक्त संबंध में श्री रामईश्वर सिंह अध्यक्ष, बी. एन. सी. मिल्स कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., राजनांदगांव के कारण बताओ सूचना-पत्र के उत्तर में दिनांक 7-11-2002 के पत्र तथा उसके तारतम्य में उन्हें 7-11-2002 को आवेदन-पत्र एवं संलग्न वांछित दस्तादेज प्राप्त किये गये, की पावती एवं टीप का अवलोकन किया गया.

(3) संस्था द्वारा प्रेषित लिखित जवाब दिनांक 11-11-02 तथा बी. एन. सी. मिल प्रबन्धक का पत्र दिनांक 11-11-02 एवं संस्था के उपविधि, सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम का अवलोकन किया गया.

उपरोक्त समस्त तथ्यों के अवलोकन एवं परीक्षणोपरांत मैं निम्नानुसार तथ्यों एवं निष्कर्षों पर पहुंचता हूं.—

(अ) बी. एन. सी. मिल्स कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., राजनांदगांव के समस्त सदस्य बी. एन. सी. मिल्स के कर्मचारी हैं तथा बी. एन. सी. मिल्स प्रबन्धक द्वारा सूचित किया गया है कि मिल दिनांक 31-10-2002 से बन्द किया जा चुका है तथा 1173 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं. आवश्यक कार्य हेतु मात्र 33 कर्मचारी कार्यरत हैं, इस प्रकार 97 प्रतिशत कर्मचारियों का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार कर लिया गया तथा मिल को बंद कर दिया गया है.

(ब) संस्था के उपनियम क्रमांक 1 के अनुसार संस्था का कार्यक्षेत्र बी. एन. सी. मिल्स होगा तथा उपविधि 4 के अनुसार संस्था का सदस्य बी. एन. सी. मिल्स, राजनांदगांव का प्रत्येक कर्मचारी हो सकता है.

(स) (1) संस्था के 605 सदस्यों द्वारा नोटरी श्री महेन्द्र कुमार शर्मा के समक्ष का शपथ-पत्र पेश किया है कि वे बी. एन. सी. मिल्स कर्मचारी साख समिति के सदस्य हैं.

(2) कि वे बी. एन. सी. मिल्स के कर्मचारी हैं तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन-पत्र स्वीकृत कर उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया है.

(3) अतः संस्था के सदस्य संस्था के विघटन की कार्यवाही चाहते हैं.

उपरोक्त समस्त 605 शपथ-पत्रों को नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया है, संस्था के कुल सदस्य संख्या 794 के विरुद्ध 605 सदस्यों का आवेदन-पत्र तीन चौथाई से अधिक है जो अधिनियम की धारा 69 (1) के अंतर्गत विचार करने योग्य है. संस्था के द्वारा अपने जवाब में उन शपथ-पत्रों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए संस्था स्तर पर जांच किया जाना आवश्यक बताया है तथा इस हेतु 15 दिन का पुनः अवसर चाहा है. वस्तुतः उन्हें शपथ-पत्र एवं संबंधित आवेदन-पत्र का अवलोकन कराया जा चुका है तथा आवेदन-पत्र की प्रतिलिपि दी गई है तथा शपथ-पत्र की विश्वसनीयता की जांच संस्था स्तर पर किया जाना उनके अधिकार क्षेत्र से परे है तथा प्रस्तुत शपथ-पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित होने से विधि सम्मत है. अतः संस्था का तर्क मान्य योग्य नहीं है.

(द) संस्था के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 8-11-2002 के द्वारा प्रबंधकारिणी समिति की बैठक दिनांक 6-11-2002 के विषय क्रमांक-2 के निर्णय में यह उल्लेख किया है कि विशेष आमसभा दि. 27-10-02 को जिसमें 222 सदस्यों की उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं, में बहुमत के आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय पारित किया गया है.

उक्त निर्णय के संबंध में संस्था के अध्यक्ष द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 6-11-2002 में असहमति दर्शायी जा रही है तथा आमसभा का प्रस्ताव एवं निर्णय दबावपूर्वक लिखाया गया, का उल्लेख किया गया है, जबकि वस्तुतः आमसभा की कार्यवाही विवरण स्वयं अध्यक्ष श्री रामईश्वर सिंह द्वारा हस्ताक्षरित है तथा स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा विशेष आमसभा के निर्णय क्रमांक-2 से असहमति बाबत कोई उल्लेख नहीं है. इससे स्पष्ट होता है, कि संचालक मंडल की बैठक दिनांक 6-11-2002 में उल्लेखित आपत्तियां पश्चात्‌वर्ती सोच है तथा अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने के लिये विशेष आमसभा के निर्णय के विपरीत संचालक मंडल ने मनगढ़ंत तथ्यों का उल्लेख कर निर्णय लेकर प्रेषित किया गया है जो मान्य योग्य नहीं है.

अतः मुझे समाधान हो गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय एवं आवश्यक है. उक्त कारणों से मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्र./एफ/5-1-99/पन्द्रह/एम. सी., दिनांक 26-7-99 के द्वारा वेष्ठित अधिकार का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत बी. एन. सी. मिल्स कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक-34, दिनांक 3-1-75 को परिसमापन में लाया जाता है.

उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री राकेश तिवारी, सहकारी निरीक्षक, राजनांदगांव को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से दिनांक 14-11-2002 को जारी किया गया.

बी. के. ठाकुर,
सहायक रजिस्ट्रार.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, बस्तर, जिला जगदलपुर (छ. ग.)

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/652.—छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत परियोजना अधिकारी एकीकृत डेयरी विकास परियोजना, जगदलपुर के पत्र क्रमांक/ए. डी. वि. परि./क्षे. स./2001-बाबू सेमरा जगदलपुर, दिनांक 14-9-2001 में निम्नलिखित दुग्ध सहकारी समितियों के अकार्यशील होने का लेख किया गया है.

क्र.	समिति का नाम		पंजीयन क्रमांक दिनांक
(1)	(2)		(3)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति.	पूर्वी बोरगांव	232/7-6-90
2.	उत्पादक सहकारी समिति	गिरोला	236/7-6-90
3.	,,	आलोर	420/28-2-97
4.	,,	बस्तर	60/7-2-86
5.	,,	बकावण्ड	59/30-1-86
6.	,,	कुम्हली	290/21-2-94
7.	,,	मारकेल	81/30-3-88
8.	,,	बुरंद सेमरा	73/31-3-87
9.	,,	पश्चिम बोरगांव	231/7-6-90

अतः उपरोक्त वर्णित दुग्ध सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित करता हूं.

अतएव मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां (प्रशा.), जगदलपुर, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 7-3/सह./15/2436 रायपुर, दिनांक 13 जून 2001 द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारण के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना देता हूं कि क्यों न आपके संस्था के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम धारा 69 (2) की कार्यवाही की जावें. इस संबंध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना है तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा यह माना जाकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश प्रसारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/651.—म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत सहायक रजिस्ट्रार (अंकेक्षण) सहकारी समितियां, जगदलपुर ने अपने पत्र क्रमांक/498, दिनांक 31-7-2000 के द्वारा प्रेषित पत्र में वर्णित सहकारी समितियों की अंकेक्षण टीप के आधार पर अकार्यशील एवं निष्क्रिय होने का उल्लेख करते हुए अनुसूची में वर्णित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

अकार्यशील सहकारी समितियों की सूची परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/जि. सं. पं./परि./1654/2000 जगदलपुर, दिनांक 14-9-2000 को निम्न वर्णित सहकारी समितियों को जारी किया गया :—

क्र.	अकार्यशील समिति का नाम	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्राथ. दुग्ध सह. समिति मर्या., कचनार.	बकावण्ड	85/30-8-88

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	प्राथ. दुग्ध सह. समिति मर्या., करीतगांव.	बकावण्ड	83/30-3-89
3.	मां फलमति देवी दुग्ध समिति, मालगांव.	बकावण्ड	158/27-1-90
4.	नव जागृति सह. समिति, हाटकचोरा.	जगदलपुर	157/5-1-90
5.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, करपावण्ड.	बकावण्ड	164/1-11-90
6.	आदि. यातायात सह. समिति, कंगोली.	जगदलपुर	261/28-5-92
7.	प्राथ. सह. समिति, बस्तर	बस्तर	284/6-7-93
8.	आदि. रफ्तार सह. समिति, हाल्मा.	विश्रामपुरी	332/8-9-93
9.	रफ्तार योजना सह. समिति, नारायणपुर.	नारायणपुर	267/26-8-91
10.	आदि ट्रक रफ्तार सह. समि., पासंगी.	फरसगांव	313/16-7-92
11.	आदि. रफ्तार सह. समिति, सिंगनपुर.	केशकाल	333/3-12-93
12.	आदि. रफ्तार सह. समिति, मुण्डापारा.	केशकाल	334/9-12-93
13.	आदि. मत्स्य सह. समिति, मर्या., एड़का.	नारायणपुर	217/4-1-90
14.	आदि. मछुआ सह. समिति मर्या., करपावण्ड.	बकावण्ड	287/13-8-93
15.	दन्तेश्वरी शिक्षित बेरोजगार सह. समिति, जगदलपुर.	जगदलपुर	257/5-2-92
16.	प्राथ. केतकी रस्सी उद्योग सह. समिति मर्या., मोगरापाल.	बस्तर	275/5-3-93
17.	महिला बहु उद्देशीय सह. समिति मर्या., केवरामुण्डा.	जगदलपुर	265/7-7-92
18.	फल एवं साग सब्जी सह. समिति, बजावण्ड.	बकावण्ड	155/20-7-89
19.	आदि. श्रमिक सह. समिति मर्या., राजूर.	तोकापाल	289/8-11-93
20.	युवा आदि. हरि. ईंट खपरा सह. समिति, हाटकचोरा.	जगदलपुर	273/8-2-93
21.	पाथ. खदान मजदूर ट्रक सह. समिति, सोनारपाल.	बस्तर	285/6-7-93
22.	आदि. खनि. सह. समिति मर्या., गढ़िया.	लोहण्डीगुड़ा	258/20-2-92
23.	खनिकर्म आदि. श्रमिक सह. स., मावलीभाटा.	तोकापाल	292/10-6-94
24.	आदि. खनिज सह. समिति, अधनपुर.	जगदलपुर	295/15-12-94
25.	आदि. श्रमिक सह. समिति, छोटे कड़मा.	तोकापाल	226/3-2-92
26.	प्राथ. आदि. रेत खदान सह. समिति, सरगीपाल.	जगदलपुर	274/24-2-93
27.	आदि. हरि. ईंट खपरा सह. समिति, नानगुर.	जगदलपुर	262/7-7-92
28.	प्राथ. केतकी रस्सी उद्योग सह. समिति, महुपाल.	बस्तर	272/23-12-93
29.	बुनकर सह. समिति मर्या., बड़े जिराखान.	बकावण्ड	252/2-4-91
30.	श्री नामदेव आदर्श मजदूर सह. समिति, सिंगनपुर.	तोकापाल	161/22-3-90
31.	प्राथमिक आबकारी सह. समिति मर्या., आसना.	जगदलपुर	416/9-9-97
32.	प्राथमिक आबकारी सह. समिति, मर्या., ठाकुर रोड क्र. 1	जगदलपुर	385/4-10-96
33.	ठाकुर रोड क्र. 2	,,	393/23-11-96
34.	आदि. बेरोजगार विदेशी मदिरा क्रय-विक्रय सह. समिति, नारायणपुर.	नारायणपुर	431/12-11-97
35.	प्राथ. आबकारी सह. समिति मर्या., केवरामुंडा, क्र. 2.	जगदलपुर	391/23-11-96
36.	प्राथ. आबकारी सह. समिति मर्या. केवरामुंडा, क्र. 3.	जगदलपुर	408/25-4-97

(1)	(2)	(3)	(4)
37.	प्राथ. आबकारी सह. समि. मर्या., धनपूंजी, क्र. 1.	जगदलपुर	383/4-10-96
38.	प्राथ. आबकारी सह. समि. धनपूंजी, क्र. 2.	जगदलपुर	390/23-11-96
39.	प्राथ. आबकारी सह. समि. नया बस स्टेण्ड, जगदलपुर. क्र. [illegible]	जगदलपुर	392/23-11-96
40.	किसान मजदूर श्रमिक गिट्टी खदान सह. स. मर्या., छिन्दगांव.	बकावण्ड	388/13-1-97
41.	प्राथ. आबकारी सह. समिति, नया बस स्टेड, जगदलपुर क्र. 1.	जगदलपुर	386-4-10-96

अतएव मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां (प्रशा.) जगदलपुर छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-3/सह./15/2436 रायपुर, दिनांक 13 जून 2001 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारण के आधार पर यह अंतिम सूचना-पत्र जारी कर सूचना देता हूं कि क्यों न आपके संस्था के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम धारा 69 (2) की कार्यवाही की जावे. इस संबंध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना है तो इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जाकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह अंतिम सूचना-पत्र आज दिनांक 22-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/650.—छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत उप-पंजीयक, सहकारी समितियां जगदलपुर के पत्र क्रमांक/उपंज/निर्वाचन/1760/2001 जगदलपुर, दिनांक 11-9-2001 तथा क्रमांक/उपज/निर्वाचन/1784/2001 जगदलपुर, दिनांक 17-9-2001 के द्वारा क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय चक्र में निम्न वर्णित सहकारी समितियों के संचालक मंडल तथा प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु आदेश प्रसारित कर निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था :—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	चक्र (प्रथम, द्वितीय)
1.	माडिया आदि. विकास सह. समिति मर्यादित, कोहकामेटा.	422/30-9-98	द्वितीय
2.	आदि. विकास सहकारी समिति मर्या., सोनपुर.	370/11-1-96	द्वितीय

उपरोक्त समितियों के निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सदस्यता सूची उपलब्ध न होने से निर्वाचन अपूर्ण रहने का लेख किया गया है जो कि सदस्यों की अरुचि दर्शाता है. इस तरह संस्था को अकार्यशील समझा गया. अतः उपरोक्त वर्णित सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित करता हूं.

अतएव मैं, एच. के. नागदेव, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (प्रशा.) जगदलपुर, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ 7-3/सह./15/2436 रायपुर, दिनांक 13 जून 2001 द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उपरोक्त वर्णित कारण के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना देता हूं कि क्यों न आपके संस्था के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (2) की कार्यवाही की जावें. इस संबंध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना है तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें. यह माना जाकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश प्रसारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/697.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 356, दिनांक 12 जुलाई 1994 के द्वारा ग्राम्योदय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दहीकोंगा, विकासखण्ड कोण्डागांव जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./के. एन. के./70, दिनांक 20 मई 1987 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री टी. आर. अवधिया को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/698.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 356, दिनांक 12 जुलाई 1994 के द्वारा (1) जनवानी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जोबा, विकासखण्ड कोण्डागांव जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक/(1) ए. आर./के. एन. के./60, दिनांक 22 फरवरी 1987 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री टी. आर. अवधिया को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/699.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 356, दिनांक 12 जुलाई 1994 के द्वारा प्रगतिशील दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घोड़ागांव, विकासखण्ड कोण्डागांव जिला जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./के. एन. के./61, दिनांक 22 फरवरी 1987 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री टी. आर. अवधिया को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/866.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3214, दिनांक 13-12-77 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर तथा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 307, दिनांक 4-3-1989 द्वारा एम. पी. सी. एस. मर्या., बस्तर, विकासखण्ड बस्तर जिला जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक ए. आर./बी. टी. आर./13, दिनांक 30-12-49 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. पी. सिंह को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 27-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/889.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1106, दिनांक 11-8-98 के द्वारा शंखनी प्राथ. आबकारी सहकारी समिति मर्या., केवरामुण्डा, जगदलपुर, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 387, दिनांक 2-11-96 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितिया अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/888.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 890, दिनांक 29-7-92 के द्वारा प्रा. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनपूंजी, जगदलपुर, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 82, दिनांक 30-3-88 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/897.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 890, दिनांक 29-7-92 के द्वारा प्रा. महिला सिलाई बुनाई उद्योग सहकारी समिति मर्या., जगदलपुर, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 55, दिनांक 27-6-85 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/898.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 356, दिनांक 12-7-94 के द्वारा आदि. मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या.,जुगानीकलार, विकासखण्ड फरसगांव जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 57, दिनांक 29-5-87 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री टी. आर. अवधिया को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/899.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1822, दिनांक 16-10-2000 के द्वारा आदि. आबकारी सहकारी समिति मर्या., आसना, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 416, दिनांक 9-9-1997 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/900.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1106, दिनांक 11-8-98 के द्वारा प्राथ. महिला औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., जगदलपुर, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 388, दिनांक 4-11-96 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/886.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 356, दिनांक 12-7-94 के द्वारा प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बोरगांव, विकासखण्ड फरसगांव जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 68, दिनांक 25-1-1960 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री टी. आर. अवधिया को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/887.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1261, दिनांक 12-2-96 के द्वारा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., फरसगांव, विकासखण्ड फरसगांव जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 233, दिनांक 7-6-90 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री टी. आर. अवधिया को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा

हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18.(1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1061.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा प्राथ. यातायात सहकारी समिति मर्या., बस्तर, विकासखण्ड बस्तर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 284, दिनांक 6-7-93 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. पी. सिंह को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1062.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा प्राथ. खदान मजदूर एवं रेत ट्रक सहकारी समिति मर्या., सोनारपाल, विकासखण्ड बस्तर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 285, दिनांक 6-7-93 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. पी. सिंह को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1063.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा प्राथ. आदि. हरि. ईंट भट्टा सहकारी समिति मर्या., नानगुर, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 262, दिनांक 7-7-92 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1064.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा प्राथ. आदि. आबकारी सहकारी समिति मर्या., धनपूंजी क्र. 1, विकासखण्ड

जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 383, दिनांक 4-10-96 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1065.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा प्राथ. आबकारी सहकारी समिति मर्या., ठाकुर रोड क्र. 2, जगदलपुर, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 393, दिनांक 23-11-96 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1066.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा प्राथ. आबकारी सहकारी समिति मर्या.. केवरामुंडा क्र. 2, जगदलपुर, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 391, दिनांक 23-11-96 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1067.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा प्राथ. आबकारी सहकारी समिति मर्या., ठाकुर रोड क्र. 1, जगदलपुर, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 385, दिनांक 4-10-96 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त

करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1068.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा प्राथ. आबकारी सहकारी समिति मर्या., धनपूंजी क्र. 2, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 390, दिनांक 23-11-96 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1069.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा प्राथ. आबकारी सहकारी समिति मर्या., नया बस स्टैण्ड क्र. 2, जगदलपुर, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 392, दिनांक 23-11-96 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1070.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा प्राथ. आबकारी सहकारी समिति मर्या., नया बस स्टैण्ड क्र. 2, जगदलपुर, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 386, दिनांक 4-10-96 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1071.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा प्राथ. आबकारी सहकारी समिति मर्या., केवरामुण्डा क्र. 3, जगदलपुर, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 408, दिनांक 25-4-97 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया

है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1072.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा आदि.रफ्तार सहकारी समिति मर्या., हात्मा, विकासखण्ड विश्रामपुरी जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 332, दिनांक 8-9-93 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. एस. साहू को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1073.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा आदि. रफ्तार सहकारी समिति मर्या., मुण्डापारा, विकासखण्ड विश्रामपुरी जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 334, दिनांक 9-12-93 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. एस. साहू को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1226.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा प्राथ. आदि. यातायात सहकारी समिति मर्या., कंगोली, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 261, दिनांक 28-5-92 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1227.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा प्राथ. आदि. रेत खदान सहकारी समिति मर्या., सरगीपाल, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 274, दिनांक 24-2-93 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था,

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1230.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा प्राथ. आदि. श्रमिक सहकारी समिति मर्या., राजूर, विकासखण्ड तोकापाल जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 289, दिनांक 8-11-93 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1231.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा प्राथ. आदि. हरि. खनिकर्म. सहकारी समिति मर्या., गढ़िया, विकासखण्ड लोहण्डीगुड़ा जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 258, दिनांक 20-2-92 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1232.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-6-02 के द्वारा आदि. रफ्तार सहकारी समिति मर्या., सिंगनपुर, विकासखण्ड केशकाल जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 333, दिनांक 3-12-93 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एल. एल. ध्रुव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1233.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 890, दिनांक 29-7-92 के द्वारा प्राथ. इन्द्रावती औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., करंजी, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 57, दिनांक 28-5-92 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एल. समरथ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1380.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/उपंज/अंकेक्षण/1106, दिनांक 7-8-02 एवं पत्र क्रमांक/उपंज/अंकेक्षण/1298, दिनांक 6-9-02 के द्वारा संस्था के अभिलेख अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न होने से वित्तीय वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 का अंकेक्षण लंबित होने का लेख कर संस्था के समस्त अभिलेख रोक पुस्त बैठक पंजी, सदस्यता पंजी तथा अन्य अभिलेख ता. तारीख पूर्ण कराकर समस्त अभिलेखों के साथ इस कार्यालय में दिनांक 20-8-02 तथा पुनः 13-9-02 को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे.

नियत दिवसों पर अभिलेखों सहित इस कार्यालय में उपस्थित न होने से निम्न समिति के कार्यकलापों में सदस्यों की अरुचि स्पष्ट है. अतः समिति को परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित किया जाता है.

क्र.	समिति का नाम	पृ. क्रमांक दिनांक	विकासखण्ड
1.	युवा बेरोजगार सह. समिति मर्या., एर्राकोट.	437 दिनांक 17-2-02	तोकापाल

अतएव मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां (प्रशासन) जगदलपुर, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-3/सह/15/2436 रायपुर, दिनांक 13 जून 2001 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारण के आधार पर यह अंतिम सूचना-पत्र जारी कर सूचना देता हूं कि क्यों न आपके संस्था के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम धारा 69 (2) की कार्यवाही की जावे. इस संबंध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना है तो इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जाकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह अंतिम सूचना-पत्र आज दिनांक 26-9-02 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पत्र मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1401.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2100, दिनांक 23-11-2001 के द्वारा प्राथ. वृक्ष सहकारी समिति मर्या., मालगांव, विकासखण्ड कोण्डागांव जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 311, दिनांक 2-1-92 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री टी. आर. अवधिया को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1400.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2100, दिनांक 23-11-01 के द्वारा प्राथ. वृक्ष सहकारी समिति मर्या., तिमड़ी, विकासखण्ड केशकाल जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 309, दिनांक 2-1-91 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एल. एल. ध्रुव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1399.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1169, दिनांक 20-8-02 के द्वारा आदि. बेरोजगार विदेशी मदिरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., नारायणपुर, विकासखण्ड नारायणपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 431, दिनांक 12-11-97 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर

धारा 70 के अंतर्गत श्री टी. आर. अवधिया को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1403.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1106, दिनांक 11-8-98 के द्वारा ईट खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., जगदलपुर, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 370, दिनांक 11-7-96 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. पी. सिंह को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1404.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-06-02 के द्वारा महिला बहु-उद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जगदलपुर, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 265, दिनांक 7-7-92 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. पी. सिंह को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1405.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-06-02 के द्वारा दन्तेश्वरी शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्या., जगदलपुर, विकासखण्ड जगदलपुर

जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 257, दिनांक 5-2-92 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. पी. सिंह को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1406.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-06-02 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मालगांव, विकासखण्ड बकावण्ड जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 158, दिनांक 27-1-90 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. पी. सिंह को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम-प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (ब्राडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1407.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-06-02 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कचनार, विकासखण्ड बकावण्ड जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 85, दिनांक 30-3-88 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. पी. सिंह को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1408.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-06-02 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करीतगांव, विकासखण्ड बकावण्ड जिला

बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 83, दिनांक 30-3-89 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. पी. सिंह को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1409.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 890, दिनांक 29-7-92 के द्वारा रेशम कृमि पालन उद्योग सहकारी समिति मर्या., बड़े मारेंगा, विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 80, दिनांक 17-12-87 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. पी. सिंह को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1410.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-06-02 के द्वारा आदि. महुआ सहकारी समिति मर्या., करपावण्ड, विकासखण्ड बकावण्ड जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 287, दिनांक 13-8-93 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. पी. सिंह को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1411.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 872, दिनांक 28-06-02 के द्वारा दुग्ध उत्पादक

सहकारी समिति मर्या., करपावण्ड, विकासखण्ड बकावण्ड जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 164, दिनांक 1-11-90 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. पी. सिंह को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/1402.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2100, दिनांक 23-11-01 के द्वारा प्राथ. वृक्ष सहकारी समिति मर्या., करण्डी, विकासखण्ड कोण्डागांव जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 310, दिनांक 2-1-92 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री टी. आर. अवधिया को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/298.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 405, दिनांक 6 जुलाई 95 के द्वारा मां भंगाराम आदर्श आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., लामकेर, विकासखण्ड बस्तर जिला जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक ए. आर./बी. टी. आर./66, दिनांक 29 मार्च 86 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. पी. सिंह को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 13-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/297.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 890, दिनांक 29 जुलाई 92 के द्वारा मां शीतला मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., राजनगर, विकासखण्ड बकावण्ड जिला जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक ए. आर./बी. टी. आर./44, दिनांक 30 मार्च 84 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. पी. सिंह को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 13-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2002/296.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 405, दिनांक 6 जुलाई 95 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., फरसागुड़ा, विकासखण्ड बस्तर जिला जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक ए. आर./बी. टी. आर./75, दिनांक 31 मार्च 87 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. पी. सिंह को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एच. के. नागदेव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 13-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एच. के. नागदेव,
उप-पंजीयक.

कार्यालय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जगदलपुर, (छ. ग.)

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2001/2100.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परिसमापन/1805, दिनांक 20-9-2001 द्वारा निम्नलिखित प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्थाओं को कारण बताओ सूचना-पत्र सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा (3) के तहत प्रेषित कर अवगत कराया गया था कि विगत तीन वर्षों से संस्था का निष्क्रिय एवं अकार्यशील की स्थिति में है तथा भविष्य में सहकारिता वृक्ष योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होने से क्यों न समिति को परिसमापन में लाया जावे तथा सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर साक्ष्य सहित समिति के कारोबार की संचालन प्रक्रिया की स्थिति से अवगत करावें एवं अन्यथा की स्थिति में समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

चूंकि उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र के अंतर्गत किसी भी समिति द्वारा समिति के कारोबार प्रक्रिया को निरंतर बनाये रखने हेतु साक्ष्य सहित प्रमाण-पत्र अथवा कोई भी निवेदन प्रस्तुत नहीं करने से मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि सहकारिता वृक्ष योजना के अंतर्गत गठित निम्न वर्णित समितियां भविष्य में कार्य नहीं करना चाहती और निष्क्रिय तथा अकार्यशील है.

अतएव मैं ए. एस. मरकाम सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/सहकारिता/15/2436, दिनांक 13-6-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित कारणों के आधार पर निम्नलिखित प्राथमिक वृक्ष सहकारी समितियों को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित करता हूं तथा क्रमांक 4 में दर्शित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा जो आज दिनांक 23-11-2001 से मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की जा रही है.

क्र.	समिति का नाम		पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम	
(1)	(2)		(3)	(4)	
1.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या.,	कोरटा	175/4-3-92	सह. विस्तार अधि.,	बकावण्ड
2.	,,	कोसमी	176/4-3-91	,,	बकावण्ड
3.	,,	लाम्नी	185/4-3-91	,,	जगदलपुर
4.	,,	परपा	186/4-3-91	,,	जगदलपुर
5.	,,	अरंडवाल	179/4-3-91	,,	तोकापाल
6.	,,	सिरिसगुड़ा	180/4-3-91	,,	तोकापाल
7.	,,	चित्रकूट	181/4-3-91	,,	लोहंडीगुड़ा
8.	,,	मिचनार	182/4-3-91	,,	लोहंडीगुड़ा
9.	,,	मारडूम	183/4-3-91	,,	लोहंडीगुड़ा
10.	,,	मेड्री	184/4-3-91	,,	लोहंडीगुड़ा
11.	,,	पल्ली	187/4-3-91	,,	जगदलपुर
12.	,,	छोटेकवाली	188/4-3-91	,,	जगदलपुर
13.	,,	नानगुर	189/4-3-91	,,	जगदलपुर
14.	,,	चितापदर	190/4-3-91	,,	जगदलपुर
15.	,,	कुरंदो	191/4-3-91	,,	जगदलपुर
16.	,,	धाराऊर	192/4-3-91	,,	लोहंडीगुड़ा
17.	,,	रायकोट	193/4-3-91	,,	तोकापाल
18.	,,	साल्हेपाल	191/4-3-91	,,	तोकापाल
19.	,,	बुधपदर	195/4-3-91	,,	तोकापाल
20.	,,	लामकेर	199/4-3-91	,,	बस्तर
21.	,,	बोड़नपाल	200/4-3-91	,,	बस्तर
22.	,,	रेटावण्ड	201/4-3-91	,,	बस्तर
23.	,,	मद्योता	202/4-3-91	,,	बस्तर
24.	,,	झारतरई	203/4-3-91	,,	बस्तर
25.	,,	धनियालूर	214/4-3-91	,,	जगदलपुर
26.	,,	मारकेल	215/4-3-91	,,	जगदलपुर
27.	,,	सुलियागुड़ा	216/4-3-91	,,	जगदलपुर
28.	,,	बिलोरी	228/24-2-92	,,	जगदलपुर
29.	,,	साड़गुड़	229/24-2-92	,,	जगदलपुर
30.	,,	सांवरापाल	230/24-2-92	,,	बस्तर
31.	,,	टोपर	231/24-2-92	,,	दरभा

(1)	(2)		(3)	(4)	
32.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या.,	बस्तर	232/24-2-92	सह. विस्तार अधि.,	बस्तर
33.	,,	रोतमा	233/24-2-92	,,	बस्तर
34.	,,	टिकनपाल	234/24-2-92	,,	बस्तर
35.	,,	राजूर	235/1-11-95	,,	तोकापाल
36.	,,	चितापुर	236/1-11-95	,,	दरभा
37.	,,	धुरवारास	237/1-11-95	,,	दरभा
38.	,,	चिढ़पाल	238/1-11-95	,,	दरभा
39.	,,	तोषकापाल	273/25-11-91	,,	दरभा
40.	,,	मुरवेण्ड	274/25-11-91	,,	केशकाल
41.	,,	पलना	275/25-11-91	,,	
42.	,,	अड़ेंगा	279/25-11-91	,,	
43.	,,	मीरागांव	203/25-11-91	,,	केशकाल
44.	,,	डोंगरीगुड़ा	284/25-11-91	,,	केशकाल
45.	,,	बड़े कनेरा	285/25-11-91	,,	कोंडागांव
46.	,,	अमरावती	286/25-11-91	,,	माकड़ी
47.	,,	बेलगांव	287/25-11-91	,,	माकड़ी
48.	,,	खरगांव	299/25-11-91	,,	माकड़ी
49.	,,	छोटे राजपुर	300/12-12-91	,,	विश्रामपुरी
50.	,,	बड़े राजपुर	301/12-12-91	,,	विश्रामपुरी
51.	,,	तोड़ोकी	302/12-12-91	,,	विश्रामपुरी
52.	,,	टेंवसा	103/12-12-91	,,	नारायणपुर
53.	,,	कोरगांव	304/12-12-91	,,	विश्रामपुरी
54.	,,	कलगांव	305/12-12-91	,,	जगदलपुर
55.	,,	धामनपुरी	306/12-12-91	,,	जगदलपुर
56.	,,	तिमड़ी	209/2-1-92	,,	जगदलपुर
57.	,,	करंडी	310/2-1-92	,,	जगदलपुर
58.	,,	मालगांव	311/2-1-92	,,	जगदलपुर
59.	,,	सेमलनार	198/4-5-91	,,	जगदलपुर

क्रमांक/उपंज/परिसमापन/2001/2101.—उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर के पत्र क्रमांक/उपंज/निर्वाचन/1760/2001 जगदलपुर, दिनांक 17-9-2001 तथा क्रमांक/उपंज/निर्वाचन/1784/2001 जगदलपुर, दिनांक 17-9-2001 के द्वारा क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय चक्र में निम्न वर्जित सहकारी समितियों के संचालक मंडल तथा प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु आदेश प्रसारित कर निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था :—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	चक्र (प्रथम)	(द्वितीय)
1.	किसान मजदूर पत्थर खनिज सह. समिति मर्या., चितापुर	422/30-9-98	प्रथम	
2.	महिला प्राथ. उपभोक्ता सह. समिति, मर्या., पथरागुड़ा, जगदलपुर.	231/13-8-93	प्रथम	

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	चक्र (प्रथम)	(द्वितीय)
3.	विद्यार्थी उप. सह. समिति, मर्या., जगदलपुर	33/25-3-61	प्रथम	
4.	प्राथ. पौधा उत्पादक सह. समिति मर्या., मेटगुड़ा	417/3-10-97	-	द्वितीय
5.	बस्तर उद्यमी परिवहन सह. संस्था मर्या., जगदलपुर	259/8-8-92	-	द्वितीय
6.	बस्तर आदिवासी परिवहन सह. समिति मर्या., जगदलपुर	260/3-5-92	-	द्वितीय

उपरोक्त समितियों के निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संस्था अकार्यशील होने के कारण निर्वाचन कराया जाना संभव न होने का लेख कार्यालय को किया गया है, इस तरह संस्था को अकार्यशील समझा गया.

अतः उपरोक्त वर्णित सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित करता हूं.

अतएव मैं, ए. एस. मरकाम, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (प्रशासन) जगदलपुर, छत्तीसगढ़ शासन. सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-3/सह./15/2436 रायपुर, दिनांक 13 जून 2001 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना देता हूं कि क्यों न आपके संस्था के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के धारा 69 (2) की कार्यवाही की जावें. इस संबंध में यदि आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ कहना है तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के अपना प्रस्तुत करें. यह माना जाकर आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश प्रसारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23-11-2001 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

ए. एस. मरकाम,
सहायक रजिस्ट्रार.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.